



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1750]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 16, 2011/भाद्र 25, 1933

No. 1750]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 16, 2011/BHADRA 25, 1933

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2011

का.आ. 2092(अ).—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार दिनांक 14 अगस्त, 2008 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3(ii) में प्रकाशित दिनांक 14 अगस्त, 2008 की श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 2042(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है।

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 14 से 15 के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

[निगम द्वारा धारा 8 के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (iv) के अंतर्गत चयनित]

क्रम संख्या 14—डॉ. विनय अग्रवाल,

ए-14-15, पुष्पांजलि,

विकास मार्ग एक्सटेंशन,

नई दिल्ली-110092

[निगम द्वारा धारा 8 के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (v) के अंतर्गत चयनित]

क्रम संख्या 15—चन्द्रकांत भाउराव खैरे,

संसद सदस्य (लोक सभा),

2, तीन मूर्ति लेन,

नई दिल्ली-110011

'खैरे निवास',

स्वतंत्र सैनिक भाउराव

भागुजी खैरे मार्ग, मचली

खडक, संभाजी नगर,

औरंगाबाद-431001

[ फा. सं. यू-16012/04/2010-एसएस-I ]

रवि माथुर, अपर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT  
NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2011

S.O. 2092(E).—In pursuance of Section 8 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment No. S.O. 2042(E), dated 14th August, 2008 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(ii), dated the 14th August, 2008.

In the said Notification at S. No. 14 to 15 following entries shall be substituted, namely :—

[Elected by the Corporation under sub-clause (iv) of clause (c) of Section 8]

S. No. 14—Dr. Vinay Aggarwal,

A-14-15, Pushpanjali,

Vikas Marg Extn.,

Delhi-110092.

[Elected by the Corporation under sub-clause (v) of clause (c) of Section 8]

S. No. 15—Chandrakant Bhaurao Khaire,

Member of Parliament (Lok Sabha),

2, Teen Murti Lane, 'Khaire Niwas'

New Delhi-110011. Swatantra Sainik Bhaurao

Bhaguji Khaire Marg,

Machali Khadak, Sambhaji

Nagar, Aurangabad-431001.

[F. No. U-16012/04/2010-SS-I]

RAVI MATHUR, Jt. Secy.